

मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-10-31/18-2/2007

भोपाल, दिनांक 01/11/2014

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,  
नगरपालिका निगम  
मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी,  
नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्  
मध्यप्रदेश


विषय:- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, राजीव आवास योजना एवं भारत सरकार की नयी योजना "Housing for All - 2022" के अंतर्गत गरीबों की आवासीय योजनाओं के लिये हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया।

संदर्भ:- विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ-10-31/18-2/2007 दिनांक 24.07.2007।

—00—

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (बी.एस.यू.पी. एवं एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम) एवं राजीव आवास योजना के अंतर्गत मलिन बस्तियों में निवास करने वाले शहरी गरीबों को पक्के आवास बनाकर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। BSUP एवं IHSDP योजना के हितग्राहियों की चयन प्रक्रिया के संबंध में संदर्भित पत्र दिनांक 24.07.2007 के द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संदर्भित समसंख्यक निर्देश को निरस्त करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. सर्वेक्षण एवं हितग्राही चयन की प्रक्रिया :-
  - 1.1 हितग्राही के चयन के लिये बस्ती का पूर्ण सर्वेक्षण करते हुए चतुर्सीमा का चिन्हांकन कर किया जाये। सर्वेक्षण के लिये गठित दल अंतर्विभागीय हो एवं दल का प्रमुख नगरीय निकाय के कर्मचारियों व अधिकारियों को नियुक्त किया जाये। उक्त दल चयनित बस्ती में निवासरत झुग्गीवासियों का स्थानीय निवासियों की एक समिति बनाकर उनकी सहभागिता से विस्तृत सर्वे करेगा व उनसे अभिलेख प्राप्त करेगा। प्रत्येक आवास एवं परिवार को एक नम्बर प्रदान किया जायेगा, तथा प्रारंभिक सूची तैयार किया जाएगा। बस्ती से संबंधित जोन के जोनल अधिकारी, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी उक्त प्रारंभिक सूची का प्रकाशन संबंधित झुग्गी बस्ती/निकाय कार्यालय में कर उसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दावा आपत्ति आमंत्रण करेंगे। दावा आपत्ति हेतु 15 दिवस का समय दिया जायेगा व उनका निराकरण अगले 07 दिवस के अंदर नगरीय निकाय द्वारा इस हेतु गठित समिति अथवा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जाकर उसकी अंतिम सूची तैयार करेंगे। इस अंतिम सूची को मेयर-इन-कौंसिल/प्रसिडेंट-इन-कौंसिल द्वारा स्वीकृति दी जाएगी।



-1-

आवंटन के लिये भी लॉटरी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। ऐसी स्थिति में आयु प्रमाण दिया जाना अनिवार्य होगा।

- 3.3. हितग्राही परिवार कब्जा लेने के पश्चात् रहवासी समिति गठित करेंगे व यह रहवासी समिति आवासों का अनुरक्षण/संभारण/रख-रखाव करेंगे व इस संबंध में शुल्क इत्यादि का निर्धारण कर संग्रहित करेगी जिसमें अनुरक्षण संभारण का कार्य किया जायेगा।
- 3.4. चयनित हितग्राही परिवार को कब्जे के पूर्व आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवासीय इकाईयों के आवंटन में दुहराय (Duplication) न हो एक बार आवास आवंटित होने के पश्चात् वही हितग्राही पुनः उसी शहर अथवा प्रदेश के किसी शहर में शासकीय योजनाओं में आवास प्राप्त न कर सके यह सुनिश्चित किया जाय। इसके लिये आधार कार्ड का बायोमेट्रिक्स पर्याप्त माना जायेगा। प्रत्येक नगरीय निकाय, जिनके द्वारा शहरी गरीबों के आवास की योजनाएं क्रियान्वयन की जा रही हैं, आवंटितियों के बायोमेट्रिक्स डाटा संभारित करेंगे।
- 3.5. जो परिवार आपसी सहमति से लॉटरी उपरांत पंजीयन से पूर्व आवासों को बदलना चाहते हैं, वे इस बाबत शपथ पत्र देकर मेयर-इन-कौंसिल/प्रसिडेंट-इन-कौंसिल के स्वीकृत से राशि रु. 100/- जमा कराकर कर सकेंगे। हितग्राहियों का कोई समूह एक साथ एक आवासीय ब्लॉक का आवंटन का अनुरोध करता है। तो मेयर-इन-कौंसिल/प्रसिडेंट-इन-कौंसिल की पूर्व स्वीकृति से ब्लॉक के भीतर ही आपसी लॉटरी से इन्हे आवंटित किया जा सकेगा। उपलब्ध ब्लॉकों में से समूह हेतु ब्लॉक का निर्धारण लॉटरी के माध्यम से मेयर-इन-कौंसिल/प्रसिडेंट-इन-कौंसिल के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- 3.6. यदि उपलब्ध भवनों की तुलना में आवेदकों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति द्वारा आवासीय इकाईयों का आवंटन पूर्व में घोषित दिनांक, स्थान व समय पर लॉटरी पद्धति से किया जाएगा।
- 3.7. चयन सूची के साथ 10 प्रतिशत हितग्राहियों की एक प्रतीक्षासूची बनाई जायेगी। चयन सूची में सम्मिलित किसी हितग्राही को भवन आवंटित न किये जाने की स्थिति में प्रतीक्षासूची के क्रमवार ऐसे भवन आवंटित किये जा सकेंगे।
- 3.8. यदि कंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा इस प्रकार की योजनाएं ली जाती हैं, तो उनका सर्वेक्षण कंटोनमेंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार कर जिला कलेक्टर के माध्यम से सूची का अनुमोदन करायेंगे। इन प्रकरणों में मेयर-इन-कौंसिल/प्रसिडेंट-इन-कौंसिल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।
- 3.9. चयनित हितग्राहियों को आवासीय इकाईयों का न्यूनतम 15 वर्ष के लिये लीज डीड पंजीयन के माध्यम से पति एवं पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से दिया जायेगा।
- 3.10. निर्माण लागत के विरुद्ध हितग्राही के अंशदान की व्यवस्था के तौर पर बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था के पास लीज डीड ऋण के पुर्नभुगतान की अवधि के लिए बंधक रखे जा सकेंगे।
- 3.11. आवंटित आवासीय इकाई का उप पट्टा, विक्रय पत्र, दानपत्र, मुख्तारनामा या किसी भी रीति से हस्तांतरण प्रतिबंधित होगा तथा ऐसा पाये जाने पर आवासीय इकाई को नगरीय निकाय द्वारा अपने अधिपत्य में ले लिया जायेगा। दायिदक तौर पर वापस प्राप्त किये

*Dr. J. N. Singh*